कार्यालय नगर पंचायत भटनी बाजार, देवरिया

पत्रांक सं0 : 1386(16) / न0पं0भ0बा0 / 2016–17, दिनांक : 01 सितम्बर, 2016

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा शा0 सं0– 99/2016/आर0एफ0 594/नौ–9–16–22 आर0एफ0/16, नगर विकास अनुभाग–9, लखनऊ, दिनांक 22 जुलाई, 2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में नया सवेरा नगर विकास योजना से स्वीकृत व्याज रहित ऋण मु0–162.73 लाख (एक करोड़ बासठ लाख तिहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष अवमुक्त अनुदान धनराशि मु0–81.365 लाख (इक्यासी लाख छत्तीस हजार पांच सौ मात्र) एवं अनुदान से अधिक धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान धनराशि से जनहित में नगर पंचायत सीमान्तर्गत गंडक नदी पर चार स्थानों पर घाट (सीढ़ी) निर्माण कार्य कराये जाने हेतु मुहरबंद निविदायें पंजीकृत फर्मों/नगर पालिका परिषद, जिला पंचायत, लो0नि0विभाग आदि के पंजीकृत ठेकेदारों जिनका पंजीयन वर्तमान समय में प्रभावी है, द्वारा दिनांक 27–09–2016 को कार्यालय जिलाधिकारी देवरिया के टी0ए0सी0 पटल पर रखी गयी निविदा पेटिका में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। सम्बंधित निविदा उसी दिन उपस्थित फर्मों के मालिकों/ठेकेदारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष 02:00 बजे अपरान्ह अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय देवरिया के कार्यकक्ष में खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमाकर दिनांक 26–09–2016 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 04:00 बजे तक कार्यालय नगर पंचायत भटनी बाजार व कलेक्ट्रेट स्थित एल0वी0सी0/टी0ए0सी0 पटल से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ जमानत/धरोहर धनराशि के रूप में आगणन धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत कि0वि0प0/रा0ब0प0/बैंक एफ0डी0 आर0 आदि जो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भटनी बाजार के पक्ष में बंधक हो, मूल रूप में संलग्न कर उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र में करना अनिवार्य होगा। जमानत धनराशि के छाया प्रति मान्य नहीं होगी। निविदा सम्बंधित जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय के अन्तर्गत प्रकाशन तिथि से निविदा की तिथि तक कार्यालय नगर पंचायत भटनी बाजार से प्राप्त की जा सकती है। जनपद देवरिया की वेबसाइट **www.deoria.nic.in** पर भी निविदा सम्बंधी विवरण को देखा जा सकता है। यदि निविदा विक्रय/डालने की तिथि को सार्वजनिक अवकाश पड़ता है तो अग्रिम कार्यदिवस में निविदा विक्रय/डाली जायेगी। उपरोक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत अनुदान की शेष धनराशि शासन से प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जायेगा। कार्य का विवरण निम्नवत है:–

क0 सं0	कार्य का विवरण	आगणन की धनराशि	जमानत धनराशि/10 प्र0	निविदा प्रपत्र का मुल्य	कार्य अवधि
1	2	3	4	5	6
1	केवड़ा में नदी पर घाट (सीढ़ी) निर्माण कार्य	3928000.00	392800.00	4000.00	कार्या देश प्राप्ति की तिथि से 06 माह के अन्दर
2	मस्जिद के पास नदी पर घाट (सीढ़ी) का निर्माण कार्य	3833000.00	383300.00	3800.00	
3	नूरीगंज के नदी पर घाट (सीढ़ी) का निर्माण कार्य	3765000.00	376500.00	3700.00	
4	ठाकुरद्वारा के पास नदी पर घाट (सीढ़ी) का निर्माण कार्य	4747000.00	474700.00	4700.00	

नियम एवं शर्ते :–

1 – निविदादाताओं को जमानत की धनराशि के रूप में आगणन धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत निविदा प्रपत्र के साथ एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/के0वी0पी0 जो अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भटनी बाजार के पदनाम बंधक हो तैयार कराकर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2 – उन्ही ठेकेदारों/पंजीकृत फर्मों का ही निविदा मान्य होगा जिनका पंजीयन, चरित्र एवं हैसियत आदि समस्त प्रमाण पत्र अद्यतन होंगें।

3 – निविदा स्वीकृति के छः माह के अन्दर सम्बंधित स्थापना/निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

4 – निविदादाताओं द्वारा सम्बंधित सामग्री अपने साधन से कार्यस्थल पर पहुंचाना होगा इसके लिए अतिरिक्त किसी धनराशि का भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा।

5 – निविदादाता को अपने खर्चे से निविदा स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार स्टाम्प क्रय कर एकरारनामा भरना अनिवार्य होगा।

6 – बिना जमानत धनराशि निविदा के साथ संलग्न किये निविदा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

7 – जमानत धनराशि के रूप में बैंक एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/के0वी0पी0 आदि की छाया प्रति मान्य नहीं होगी।

8 – किसी भी निविदा/सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

9 – प्रत्येक कार्य के लिए अलग–2 निविदा प्रपत्र भरे जायेंगे। किसी भी दशा में कटिंग एवं ओवरराइटिंग मान्य नहीं होगी।
10 – निविदादाताओं द्वारा स्पष्ट रूप से अपना हस्ताक्षर/नाम एवं पूरा पता निविदा प्रपत्र पर अंकित किया जायेगा।
11 – निविदादाताओं को पंजीयन एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12 – निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश निविदा नहीं खोला गया तो अग्रिम किसी भी कार्यदिवस को निविदा खोला जायेगा।
13– सम्बंधित निर्माण कार्यों की निविदा शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान/ऋण के प्रत्याशा में कराया जा रहा है तथा शासन से धनराशि प्राप्त होने के उपरांत ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
14– प्रत्येक कार्य के लिए अलग–2 जमानत धनराशि संलग्न करना अनिवार्य होगा। एक ही निविदा प्रपत्र के साथ एक से अधिक कार्यों की जमानत धनराशि का प्रपत्र संलग्न करने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

(सीताराम यादव)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत भटनी बाजार
देवरिया।

(विजय कुमार गुप्त)
अध्यक्ष
नगर पंचायत भटनी बाजार
देवरिया।